न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/590

दाखा बाई आयु 71 वर्ष पुत्री नन्दा जाति माली निवासी ग्राम अकतासा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. ललिता बाई पत्नी रामरतन आयु 36 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम अकतासा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. समन्दर बाई पत्नी कन्हैया लाल आयु 34 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम अकतासा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय, तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 17/591

दाखा बाई आयु 71 वर्ष पुत्री नन्दा जाति माली निवासी ग्राम अकतासा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. ललिता बाई पत्नी रामरतन आयु 36 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम अकतासा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. समन्दर बाई पत्नी कन्हैया लाल आयु 34 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम अकतासा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय, तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलो में ।
2. श्री मुकेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय दिनांकः 15.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.12.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी के सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकार होने तथा एक प्राथमिक डिक्री की एवं दूसरी अंतिम डिक्री की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय अलग–अलग पत्रावली में संलग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम अकतासा तहसील बून्दी जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 989/246 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 991/247 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा कुल ता 02 कुल रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के संयुक्त खाते में अंकित है जिसमे वादीगण 1/2 हिस्सा के खातेदार हैं व प्रतिवादी क्रम 1 भी 1/2 हिस्से के खातेदार हैं । उक्त भूमि पर पक्षकारान संयुक्त रूप से काबिज काश्त हैं । पक्षकारान आपसी सहमति के आधार पर काश्त कर रहे हैं । वादीगण खसरा नम्बर 989/246 की भूमि पर काबिज हैं । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है ।

4. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का नियानुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जावे तथा 1/2 हिस्से की आराजी वादीगण के खाते में दर्ज फरमाई जावे । इसी प्रकार 1/2 हिस्से की आराजी प्रतिवादी के अलग से खाते में दर्ज फरमाई जावे उसी अनुसार पक्षकारों के कब्जे में रद्दोबदल फरमाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10.12.2015 से प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय दिनांक 18.06.2016 के द्वारा अंतिम डिक्री जारी कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.12.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.06.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री की अलग–अलग अपीलें प्रस्तुत कर कथन किया कि नन्दा के हिस्से में खसरा नम्बर 297 की आराजी आयी थी व नटी, भवाना, ग्यारसा के हिस्से में खसरा नम्बर 246 की आराजी आयी थी । अपीलान्ट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन रिपोर्ट पर अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही अंतिम डिक्री पारित कर दी । रेस्पोडेन्ट ने भुवाना जी आत्मज रामनारायण निवासी तालेडा द्वारा बेचान की गई आराजी को क्रय किया है तथा उक्त रेस्पोडेन्ट्स क्रेतागण की जमीन को तो रेलवे विभाग द्वारा अवाप्त कर लिया है तथा इन लोगों ने मुआवजा भी प्राप्त कर लिया है अब ये अनाधिकृत रूप से अपीलान्ट की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा हैं । अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 10.12.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने दोनों अपीलों के साथ अलग–अलग प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री पारित की है जिसकी अपीलान्ट

को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11.10.2017 को हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री की नकल प्राप्त कर उक्त दोनों अपीलें न्यायालय हाजा में पेश की गई हैं । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते की थी पक्षकारों में आपस में समझौता हो गया था जिसके अनुसार खसरा नम्बर 246 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा नटी, ग्यारसा, भवाना व उच्छव के आयी थी जो भवाना के ही कब्जे में थी तथा खसरा नम्बर 247 रकबा 06 बीघा 14 बिस्वा भूमि नन्दा के हिस्से में आयी थी । खसरा नम्बर 247 रकबा 06 बीघा 14 बिस्वा भूमि में से 09 बिस्वा भूमि रेलवे में अवाप्त हो गयी । खसरा नम्बर 247 में से 06 बीघा 05 बिस्वा भूमि शेष रही तथा खसरा नम्बर 246 जो भवाना के हिस्से में आई थी उसमें से रेलवे में अवाप्ति के पश्चात् 05 बीघा 07 बिस्वा भूमि शेष रही । रेलवे का मुआवजा पक्षकारान ने पारिवारिक समझौते के अनुरूप प्राप्त किया था । भवाना, उच्छव ने जो विक्रय ललिता बाई, समन्दर बाई को किया गया उसमें उक्त दोनों खसरा नम्बर का 1/2 हिस्से का बेचान किया गया जो अवैध है । भवाना उच्छव के हिस्से में खसरा नम्बर 246 की 05 बीघा 07 बिस्वा भूमि रही थी। उसके द्वारा केवल मात्र 05 बीघा 07 बिस्वा भूमि का ही कानूनन बेचान किया जा सकता था । प्राथमिक डिक्री जारी करने से पूर्व दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचना नहीं की गई है । अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है । अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियमों की पालना नहीं की गई है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.12.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.06.2016 निरस्त फरमाया जावे। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1998 पेज 319, आरआरडी 1992 पेज 518, आरआरडी 1992 पेज 17, आरआरडी 1992 पेज 117–118, आरआरडी 1992 पेज 337 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 10.12.2015 को जारी की गई थी जिसकी अपील अवधि बाधित है विलम्ब को क्षम्य नहीं किया जा सकता । दिनांक 16.09.2015 को अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हुई थी । सन् 2017 तक इनको प्रकरण का ध्यान नहीं आया और दिनांक 23.11.2017 को अपील पेश की है । अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 10.11.2017 को कैसे हुई यह स्पष्ट नहीं किया है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट अवधि बाधित होने एवं सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.12.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.06.2016 बहाल रखा जावे ।

11. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में रिबटल में कथन किया कि अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं, तकनीकी कारणों से अपील खारिज नहीं की जा सकती । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.12.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

12. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा विभाजन का दावा पेश किया गया था जिसमें जवाबदावा के आने के आद दिनांक 05.07.2012 को तनकीयात कायम की गई थीं । दिनांक 16.09.2015 को अपीलान्ट के उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है और दिनांक 10.12.2015 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न जो नकल जमाबन्दी पेश की गई है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादीगण और प्रतिवादी कम 01 सहखातेदार दर्ज हैं । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा जो जवाबदावा पेश किया गया है उसमें राज्य सरकार को नोटिस नहीं दिये जाने की आपत्ति की गई है और प्रतिवादी द्वारा विभाजन के लिए मना किया जाना अस्वीकार किया गया है । पक्षकारों के मध्य पारिवारिक समझौते के अनुसार आराजी पृथक–पृथक खसरा नम्बरान की पक्षकारों के हिस्से में आने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी अपीलान्ट के द्वारा पेश नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी पक्षकारों के सहखाते की है और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रारम्भिक डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार जारी की गई है । जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

14. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 10.12.2015 को जारी की गई थी जिसकी अपील दिनांक 01.11.2017 को पेश की गई और और इनके भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निर्णय की जानकारी दिनांक 01.10.2017 को होना बताया है परन्तु निर्णय की जानकारी उन्हें किस तरह से हुई यह उनके द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा जवाबदावा भी पेश किया गया था । अपीलान्ट के खिलाफ दिनांक 16.09.2015 को एक तरफा कार्यवाही भी हुई थी ऐसी स्थिति में धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलम्ब का समुचित कारण नहीं होने से विलम्ब क्षम्य किया जाना भी हम उचित नहीं समझते हैं ।

15. इन तथ्यों के आधार अपील अपीलान्ट प्राथिमक डिक्री अवधि बाधित होने एवं सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं ।

16. अंतिम डिक्री के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया गया । अंतिम डिक्री लोक अदालत में पारित की गई है । लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं । पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं जबकि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के अनुसार तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने चाहिए । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है ।

17. अपीलान्ट के द्वारा अंतिम डिक्री की अपील विलम्ब से पेश की गई है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अंतिम डिक्री पक्षकारों की अनुपस्थिति में लोक अदालत में पारित की गई है। प्रकरण में दिनांक 27.07.2016 की तारीख पेशी नियत थी और इससे पूर्व ही इसको दिनांक 18.06.2016 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत की सूचना पक्षकारों को नहीं दी गई है । पक्षकारों की अनुपस्थिति में लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है इस कारण निर्णय अवैध है और अवैध निर्णय के प्रकरण में मियाद का प्रश्न गौण हो जाता है । अतः हम इस अंतिम डिक्री की अपील में धारा 05 धारा भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य किया जाना उचित समझते है । आरआरडी 1998 पेज 319, आरआरडी 1992 पेज 518 एवं आरआरडी 1992 पेज 17 यहॉ चस्पा होती हैं ।

18. इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट संख्या 17/591 खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.12.2015 बहाल रखा जाता है । अपील अपीलान्ट 17/590 विरूद्ध अंतिम डिक्री दिनांक 18.06.2016 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.06.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारों को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 26.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

19. निर्णय आज दिनांक 15.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा